उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड
कक्ष सं0–534–535, पाँचवा तल,
योजना भवन, लखनऊ
संख्याः 462/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2019,
लखनऊः दिनांकः04अक्टूबर, 2019

बैठक की सूचना

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड प्रदेश के पर्यावरण प्रिय स्थाई एवं आर्थिक विकास हेतु सतत् रूप से प्रयत्नशील है। बोर्ड द्वारा संचालित समस्त परियोजनाएँ **वैल्यू चेन मैकेनिज्म** के अन्तर्गत **उद्यमिता मोड** में क्रियान्वित की जाती हैं। इस वैल्यू चेन की एक महत्वपूर्ण कड़ी कृषक/कृषक उद्यमी हैं। राज्य सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017 में वर्णित कृषकों की आय दोगुना किये जाने, युवाओं हेतु सतत् स्वरोजगार अवसरों के सृजन, जैव ऊर्जा विकास एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा किसानों को प्रशिक्षित कर उन्हें फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के रूप में संस्थागत स्वरूप भी प्रदान किये जाने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के 27 जनपदों में नाबार्ड के सहयोग से अब तक 77 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी तथा बोर्ड द्वारा किसानों के सहयोग से 08 फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों का गठन किया जा चुका है। इनमें से अधिकांश कम्पनियां बोर्ड के सहयोग से औषधीय एवं सगन्ध कृषि कार्यक्रम के माध्यम से अपना कार्य भी प्रारम्भ कर चुकी हैं।

2. फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों को अपने प्रारम्भ किये गये कृषक उद्यमिता/कृषि सम्बन्धित व्यवसाय की निरंतरता को बनाये रखने, विभिन्न शासकीय योजनाओं से कन्वर्जेन्स की सुविधा प्राप्त करने तथा कार्पोरेट लिंकेजेज उपलब्ध कराने एवं रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, भारत सरकार में समयबद्ध विधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक बैठक वैचारिकी हाल संख्या–111, प्रथम तल, सरोजनी नायडू मार्ग, योजना भवन, लखनऊ में दिनांक : 12.10.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आहूत की गयी है।

बैठक का एजेण्डा :–

(क) **समस्त फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनीज के लिए;**

1. दिनांक : 31.03.2019 तक पंजीकृत फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के फाईनेंशियल डाक्यूमेण्ट प्राप्त करने तथा आर0ओ0सी0 अन्तर्गत कम्प्लायंस।
2. सालाना के0वाई0सी0 की बाध्यता सम्बन्धित सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 में कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की गयी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति पर चर्चा।
4. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी की कार्ययोजना पर परिचर्चा में सम्मिलित महत्वपूर्ण बिन्दु;

(i) औषधीय एवं सगन्ध पौध की कृषि, विधायन तथा विपणन।
(ii) बायोमास उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार।
(iii) कृषि अपशिष्टों के प्रबन्धन तथा बायोकोल/बायो–सी0एन0जी0 उत्पादन के माध्यम से सतत् स्वरोजगार अवसरों का सृजन।
(iv) अन्य कृषक/लाभार्थीपरक उत्पादक क्रियाकलाप;

- सूक्ष्म डेयरी की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार।
- लघु पोल्ट्री की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार।
- बी–कीपिंग के माध्यम से स्वरोजगार।
- गोबर धन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से स्वरोजगार।

(ख) जनपद गोरखपुर तथा कुशीनगर में गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के लिए विशेष एजेण्डा;

1. धुरियापार जनपद–गोरखपुर में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित जैव ईंधन उद्यम को धान का पुआल तथा अन्य बायोमास आपूर्ति के सम्बन्ध में इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के उच्चाधिकारियों का प्रस्तुतीकरण।
2. उपरोक्तानुसार धुरियापार में स्थापित होने वाले संयंत्र को बायोमास आपूर्ति हेतु क्रियान्वयन प्रक्रिया पर विस्तृत परिचर्चा।

आमंत्रीगण :–

1. अधिशासी निदेशक, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर–2,7, इंस्टीट्यूशन एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया कम्पनी द्वारा धुरियापार में प्रस्तावित जैव ऊर्जा उद्यम संयंत्र से जुड़े सक्षम अधिकारी को प्रतिभाग हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक में नाबार्ड के एफ0पी0ओ0 कार्यक्रम से जुड़े उच्च स्तरीय अधिकारी को प्रतिभाग हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के प्रथम निदेशक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपनी कम्पनी से सम्बन्धित अब तक की प्रगति रिपोर्ट तथा सम्बन्धित विधिक दस्तावेज कम्पनी का पंजीयन प्रमाण–पत्र, संविधान तथा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से सम्बन्धित प्रपत्र) सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। योजना भवन एक हाई सेक्योरिटी जोन है। अतः प्रत्येक एफ0पी0ओ0 से प्रथम निदेशक को ही प्रतिभाग हेतु अनुमति होगी।
4. श्री सन्दीप दवे, निदेशक, ग्रोथ एण्ड बिजिनेस डेवलपमेण्ट एब्लॉन क्लीन एनर्जी लिमिटेड, दसवां तल, संगीता काम्प्लेक्स नियर एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006 को उनके द्वारा प्रस्तुत जैव ऊर्जा उद्यम प्रस्ताव के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार आहूत बैठक में आप ससमय भाग लेने का कष्ट करें।

04/10/19

(पी0एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक।

संख्या : 462 /उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक समन्वय हेतु प्रेषित;

1. आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बैठक में आवश्यक समन्वय प्रदान करने हेतु सूचनार्थ।
4. आर0आई0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक में सुरक्षा हेतु सक्षम स्तर पर निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

04/10/19

(पी0एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक।

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग–3
संख्या–880 / 35–3–2019–1(2) / 2012 टी0सी0–1
लखनऊ : दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

राज्य समन्वयक / सदस्य संयोजक,
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
पॉचवा तल, योजना भवन,
लखनऊ।

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गठित एवं कार्यरत फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के नोडल पर्सन्स की दिनांक 12.10.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से आयोजित बैठक हेतु योजना भवन प्रथम तल स्थित सभाकक्ष संख्या–111 का आवंटन किये जाने विषयक अपने पत्र संख्या–451 / उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0 / 2019 दिनांक 03.10.2019 के सम्बंध में यह अवगत कराना है कि निम्नलिखित सभाकक्ष उसके सम्मुख अंकित तिथि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन आवंटित / आरक्षित कर दिया गया है:–

(1) यदि आवंटित कक्ष की आवश्यकता श्री राज्यपाल महोदय / मा0 मुख्य मंत्री जी को किसी बैठक के लिए उक्त निर्धारित तिथि को पड़ती है, तो ऐसी दशा में यह आरक्षण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
(2) योजना भवन में प्रश्नगत बैठक में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों के प्रवेश–पत्र हेतु कृपया प्रवेश–पत्र कार्यालय, योजना भवन से सीधे सम्पर्क करने का कष्ट करें।
(3) प्रश्नगत बैठक के प्रतिभागियों के लिए लंच की व्यवस्था योजना भवन या उसकी लाबी / परिसर में अनुमन्य होगी।

सभा कक्ष संख्या	दिनांक	समय
111 'वैचारिकी"	12.10.2019	पूर्वान्ह 11:00 बजे से समाप्ति तक

(देशराज सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–880 (1) / 35–3–2019–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव / सचिव / समस्त विशेष सचिव नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2– व्यवस्थाधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
3– प्रवेश पत्र कार्यालय, योजना भवन / मुख्य स्वागत अधिकारी, गेट नं0–9 ।
4– मुख्य सुरक्षा अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
5– अवर अभियन्ता (विद्युत / सिविल) द्वारा–व्यवस्थाधिकारी, योजना भवन, लखनऊ ।
6– राज्य योजना आयोग अनुभाग–2, योजना भवन, लखनऊ।
7– अग्निशमन अधिकारी, योजना भवन / शास्त्री भवन, एनेक्सी, लख

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
संयुक्त सचिव।

(पी0 एस0 ओझा)
राज्य समन्वयक / सदस्य संयोजक
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड
नियोजन विभाग, उ0प्र0

K